

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.06.2021

चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोर गिरफ्तार, पूछताछ में चोरी की घटनाओं का हुआ खुलासा ,चोरी का सामान व अवैध तमंचा बरामद –

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए चोरी की घटनाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हो रही छोटी से छोटी चोरियों का जल्द से जल्द खुलासा करने एवं चोरी में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए इन्ही निर्देशों के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस को 03 शातिर चोरो को गिरफ्तार कर पूर्व में घटित चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में सफलता मिली है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरो को मसकनवाँ गौरा रोड स्थित नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा मसकनवाँ में दिनांक 05.03.2021 को एक घर से अंगूठी, चेन, बैट्री, इन्वर्टर व अन्य सामान तथा ग्राम भोपतपुर में स्थित माँ दुर्गा इण्टर कॉलेज से 05 दिन पूर्व 05 अदद सीलिंग फैन चोरी करने की घटना को स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी करने के उपकरण व निशानदेही से चोरी का सामान बरामद किया गया है। अभियुक्त राजेश उर्फ नानबच्चा शातिर किस्म का अपराधी है जिसपर जनपद बस्ती में हत्या व लूट जैसे जघन्य अभियोग पंजीकृत है। गिरोह का सदस्य सद्दाम भी पूर्व में थाना छपिया द्वारा ही चोरी के मुकदमों में जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राजेश उर्फ नानबच्चा पुत्र गोली हरिजन नि० पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा
02. सद्दाम पुत्र जॉन मोहम्मद नि० खालेगाँव थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. दीपक उर्फ दीपू पुत्र रामसुमेर नि० भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—190/21, धारा 401 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—191/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०—192/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०—193/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु०अ०सं०—94/21, धारा 380,457 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—189/21, धारा 380 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद माइक्रोटेक इन्वर्टर।
02. 01 अदद बैट्री।
03. 05 अदद सीलिंग फैन।

04. 01 अदद पीली धातु की चेन।
05. 01 जोड़ा पीली धातु कान का टप्स।
06. 03 जोड़ा सफेद धातु पायल।
07. चोरी करने के उपकरण।
08. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस। (राजेश उर्फ नानबच्चा)
09. 02 अदद नाजायज चाकू। (सद्दाम, दीपक उर्फ दीपू)

अभियुक्त राजेश उर्फ नानबच्चा का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—491 / 17, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—127 / 18, धारा 394,411 भादवि थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।
03. मु0अ0सं0—321 / 18, धारा 302,201 भादवि थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।
04. मु0अ0सं0—94 / 21, धारा 380,457 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—189 / 21, धारा 380 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त सद्दाम का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—205 / 16, धारा 41,109 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—523 / 20, धारा 457,380,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—05 / 21, धारा 457,380,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—19 / 21, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0—94 / 21, धारा 380,457 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0—189 / 21, धारा 380 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू का अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0—94 / 21, धारा 380,457 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—189 / 21, धारा 380 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।